न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2018-00404RAAJodhpur2018-189RTA225 Durjansingh ors Vs Shaitansingh etc

01. दुर्जनसिंह पुत्र श्री विजेसिंह
02. जेठूसिंह पुत्र श्री विजेसिंह
जातियान् राजपूत, निवासीगण- ग्राम गडा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. शैतानसिंह पुत्र भूरसिंह फौत के कायम मुकामः -
1.1. सुरज कंवर पत्नी स्व. श्री शैतानसिंह
1.2. हनुमानसिंह पुत्र स्व. श्री शैतानसिंह
1.3. तेजसिंह पुत्र स्व. श्री शैतानसिंह
1.4. रूपसिंह पुत्र स्व. श्री शैतानसिंह
1.5. नारायणसिंह पुत्र स्व. श्री शैतानसिंह
1.6. दीपसिंह पुत्र स.व श्री शैतानसिंह
सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- ग्राम गढा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
1.7. पप्पु कंवर पत्नी हरीसिंह भाटी पुत्री स्व. श्री शैतानसिंह, जाति राजपूत, निवासी- भाटियों की ढाणी, कमठाई, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर।
1.8. मीमा कंवर पत्नी हडवंतसिंह भाटी, पुत्री स्व. श्री शैतानसिंह जाति राजपूत, निवासी- भाटियों की ढाणी, कमठाई, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर।
1.9. मदु कंवर पत्नी भगवानसिंह इन्दा, पुत्री स्व. श्री शैतानसिंह, निवासी- राता भाखर, बालेसर सत्ता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. मूल सिंह पुत्र श्री भूरसिंह, जाति राजपूत, निवासी- ग्राम गढा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 28 सितंबर 2018 सहायक कलक्टर शेरगढ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 45/2018 दुर्जनसिंह बनाम शैतानसिंह इत्यादि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-
श्री उम्मेदसिंह बावरला, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री जेठाराम सेन, अधिवक्ता-रेस्पो.
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता
रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 16 दिसंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 48/2018 अनवान दुर्जनसिंह बनाम शैतानसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 28 सितंबर 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 05 नवंबर 2018 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि मूल खसरा नं. 592 ग्राम गड़ा के संबंध धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28 अगस्त 2018 को अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को अंतरिम रूप से स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 592 के रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये। तत्पश्चात रेस्पोडेंट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश के जरिये खसरा नं. 592/1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से मुक्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट्स के पक्ष में मानते हुए दिनांक 28.08.2018 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तथा आगामी पेशी दिनांक 28.09.2018 नियत की गई। दिनांक 28.09.2018 को कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थीह, इसके बावजूद विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय ने रेस्पोडेंट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुनवाई करते हुए एकतरफा आदेश पारित कर खसरा नं. 592/1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से मुक्त कर दिया, जबकि नक्शे में खसरा नं. 592/1 अंकित नहीं है। रेस्पोडेंट्स द्वारा जिस बंटवाड़े का उल्लेख किया गया है उसके विरुद्ध अपीलांट्स की ओर से अपील प्रस्तुत कर रखी है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को प्रार्थना पत्र की प्रति उपलब्ध करवाये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 सितंबर 2018 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पो. अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए विचारण न्यायालय में वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त आराजी का विभाजन हो चुका है तथा वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 592 बट्टा नंबरान् में विभाजित होकर अलग-अलग तरमीम चुकी है। विचारण न्यायालय द्वारा उपलब्ध अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया ।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय में मूल खसरा नं. 592 को अविभाजित बताते हुए वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के साथ सलंग्न नक्शा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पी-35 क्रमांक 21 दिनांक 17.05.2011 में वादग्रस्त आराजीयात की पृथक-पृथक तरमीम बतायी गई है। अपीलांट्स द्वारा अपील स्तर पर वादग्रस्त आराजी के बंटवाड़ा होने के तथ्य को भी स्वीकार किया गया है तथा उक्त बंटवाड़े विरुद्ध अपील प्रस्तुत किया जाने का कथन भी किया है, किंतु उक्त तथ्य अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड में आधार पर खसरा नं. 592/1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से मुक्त किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 48/2018 अनवान दुर्जनसिंह बनाम शैतानसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 28 सितंबर 2018 यथावत रखा जाता है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर